UPSH040176812024

न्यायालयः अपर सिविल जज, एस0डी0/ए0सी0जे0एम0, कक्ष संख्या–20, शाहजहॉपुर।

उपस्थित–श्री मनीष कुमार सिंह.....(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

(J.O. Code–UP2432)

दाण्डिक वाद सं०–14690/2024

1. **उत्तर प्रदेश राज्य।**

--------अभियोजन

बनाम

1. **मायाराम** पुत्र शिवनरायन।
2. **रामऔतार** पुत्र शिवनरायन। **(उपशमित)**
3. **राजकुमार** पुत्र नत्थू।

सर्वनिवासीगण बरगदिया, थाना से०म०उ०, जिला शाहजहाँपुर।

--------अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–13/1994
धारा–323, 324, 504 भा०दं०सं०।
थाना–से०म०उ०, शाहजहाँपुर।

घटना की तिथि	05.02.1994
एफ०आई०आर० किये जाने की तिथि	05.02.1994
आरोप पत्र प्रेषित किया जाने की तिथि	26.03.1994
संज्ञान की तिथि	13.12.1995
अभियोगित अपराध	323, 324, 504 भा०दं०सं०
अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि	24.04.2014
अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० लिखने की तिथि	20.12.2024
निर्णय की तिथि	02.01.2025
विचारण का परिणाम	**दोषमुक्ति**

निर्णय

1. थाना से०म०उ० की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण **मायाराम, रामऔतार व**

राजकुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–323, 324, 504 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया गया, जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

2. संक्षेप में वादी द्वारा तहरीर इस प्रकार है कि मुल्जिम रामऔतार मेरी ही बिरादरी के है। इनसे मेरी रंजिस गवाही देने के ऊपर चल रही है। आज समय करीब नौ बजे का था। मैं व मेरा नौकर ट्रैक्टर में गन्ना लेकर खेत में बुवाई के लिए जा रहे थे। ग्राम बरगदिया के पास सड़क पर मुझे व मेरे नौकर से कहा कि तुम इस संतराम की गवाही ज्यादा देते हो। यदि तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया तो बुरा हाल होगा और मुझे व संतराम को बुरी बुरी गालियां तथा लाठी डंडो से मारपीट किया। मायाराम के हाथ में भाला रहा तथा राजकुमार व रामऔतार के हाथ में लाठियां थी। मायाराम के कहने से मुझे मारपीट किया है। मेरा नौकर संतराम भाग गया इसने भी भागते हुए मारते देखा है। मेरे शोर पर गांव सरैयां के जो बाजार जा रहे थे ने बचाया तथा मुल्जिमान को ललकारा मुल्जिमान गाली देते हुए चले गये है। मैं अपने नौकर संतराम को लेकर थाने रपट को आया हूँ मेरी रपट लिख ली जाये।

3– वादी के तहरीर के आधार पर थाना से०म०उ० में अभियुक्तगण मायाराम, रामऔतार व राजकुमार के विरूद्ध धारा–323, 324, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–13/1994 के रूप में पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचना कर आवश्यक कार्यवाही कर प्रपत्रों के आधार पर बाद विवेचना धारा–323, 324, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियुक्तगण मायाराम, रामऔतार व राजकुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध के विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

अभियुक्त रामऔतार पुत्र शिवनरायन की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किया जा चुका है।

4– आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जाकर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मायाराम, रामऔतार व राजकुमार को उपरोक्त अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण मायाराम व राजकुमार के उपस्थित आने पर धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं० के अपराध के सन्दर्भ में दिनॉक 24.04.2014 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया, जिसे मानने से अभियुक्तगण ने इन्कार किया व विचारण चाहा।

5– आरोप विरचित होने के उपरांत पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत चल रही है, परन्तु अभियोजन द्वारा कोई साक्षी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कोई भी साक्षी अपने कथानक के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया। तद्क्रम में न्यायालय द्वारा अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

6– दिनांक 20.12.2024 को धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अभियुक्तगण

मायाराम व राजकुमार के बयान लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक झूॅठा एवं गलत बताया और सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया।

7– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन व अध्ययन किया गया।

8– अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण मायाराम व राजकुमार द्वारा दिनांक 05.02.1994 को समय 09 बजे दिन, वहद ग्राम बरगदिया, थाना से०म०उ०, जिला शाहजहॉपुर में आप लोगो ने स्वेच्छापूर्वक वादी मुकदमा को भाला व लाठी डंडो से मारापीटा जिससे वादी मुकदमा को गम्भीर चोटे आयी तथा गंदी गंदी गालियां दी। न्यायालय में आरोप पत्र दिनॉक 26.03.1994 को प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनॉक 24.04.2014 को आरोप विरचित किये जाने के पश्चात् से लगातार अभियोजन साक्षीगण को जरिये कई आदेशिकायें द्वारा तलब किया जा रहा है, किन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया। आदेशपत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण लगातार उपस्थित आ रहा है, किन्तु फिर भी अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया। अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का असीमित अवसर दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन पक्ष से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अथवा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्क्रम में न्यायालय द्वारा अभियोजन का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुलिस प्रपत्रो की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया। यह बहुत खेदजनक है कि अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में किसी भी साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है अभियोजन अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नही है। चूँकि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक के समर्थन में स्वयं कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण के द्वारा किया गया अपराध साबित किया जा सके।

9. माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा **विजय पाल बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, सी०आर०एम०–एम०–25761–2015** में यह विधि व्यवस्था दी गई है कि, The Court can close prosecution evidence where there is gross neglect, deliberate delay or remissness/misconduct frustrating the Court process on the part of the prosecution so that prolonged trial will amount to complete denial of fundamental right of speedy trial to the accused. The Court can close the defence evidence where there is deliberate delay to prolong the trial and decline assistance of the Court for summoning of

defence witnesses where the application for such assistance is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice. ऐसी दशा में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा वर्ष 2000 के पूर्व से लम्बित वादों की शीघ्र निस्तारण सम्बंधी दिशा निर्देश तथा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–323, 324, 504 भा०दं०सं० साक्ष्य के अभाव में युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है और अभियुक्तगण पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्तगण **मायाराम व राजकुमार** को मु०अ०सं०–**13/1994**, अंतर्गत धारा–**323, 324, 504 भा०दं०सं०**, थाना **से०म०उ०**, जिला शाहजहॉपुर के मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के जमानत नामें निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा–437ए दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा मुबलिग पच्चीस हजार रूपये (25,000/–रूपये) के पी०बी० व समान धनराशि के दो प्रतिभूगण इस शर्त के साथ दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होंगे। उक्त प्रतिभूगण का दायित्व एवं उनके द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र अग्रिम छः माह तक प्रभावी रहेगें।

दिनांक 02.01.2025

(मनीष कुमार सिंह)
अपर सिविल जज, एस०डी०/ए०सी०जे०एम०,
कक्ष सं०–20, शाहजहाँपुर।
J.O. Code–UP2432

उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 02.01.2025

(मनीष कुमार सिंह)
अपर सिविल जज, एस०डी०/ए०सी०जे०एम०,
कक्ष सं०–20, शाहजहाँपुर।
J.O. Code–UP2432